प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस रिपोर्ट में राजस्व विभाग-संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों के 'निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार(सनदी लेखाकार) की रिपोर्टिंग के मूल्यांकन' की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो जनवरी से मई 2014 की अवधि के अन्तर्गत 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए किए गए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त हुए सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता है।